भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2928

जिसका उत्तर 08 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

त्रिपुरा में सिंचाई परियोजनाएं

2928. श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिपुरा राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित सिंचाई परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या इन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (घ): जल राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की योजना तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और उनका अनुरक्षण करना संबंधित राज्य सरकार का दायित्व होता है। भारत सरकार की भूमिका अपनी चल रही योजनाओं के अंतर्गत तकनीकी सहायता प्रदान करने और कुछ मामलों में आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित रहती है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य खेत तक पानी की वास्तविक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्रफल में विस्तार करना, कृषि में जल उपयोग दक्षता में सुधार लाना, स्थायी जल संरक्षण प्रणालियों को अपनाना आदि है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक अम्ब्रेला योजना है, जिसमें इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित दो प्रमुख घटक अर्थात त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) शामिल हैं। जबकि, हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के चार उप-घटक - कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी और डब्ल्यूएम), सतही लघु सिंचाई (एसएमआई), जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) और भूजल विकास घटक होते हैं।

इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई में वाटरशेड विकास घटक भी होता है जिसका कार्यान्वयन भूमि संसाधन, विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा, कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2015-22 की अवधि के दौरान, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) घटक का भी कार्यान्वयन किया जा रहा था। हालांकि, इसके उपरांत, इसका कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक भाग के रूप में किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा भूजल विकास के साथ-साथ पीएमकेएसवाई-एचकेकेसीपी के सतही लघु सिंचाई घटक के अंतर्गत त्रिपुरा राज्य को सिंचाई परियोजनाओं में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इस संबंध में विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रू.)**	**वास्तविक प्रगति**	**स्थिति**
क. पीएमकेएसवाईएचकेपी- का भूजल घटक				
1.	त्रिपुरा चरण-I	43.63	1121 कुओं के निर्माण के माध्यम से 3,009 हेक्टेयर कमान क्षेत्र का सृजन	पूरा किया गया
2.	त्रिपुरा चरण -II			
ख. पीएमकेएसवाईएचकेपी- का एसएमआई घटक				
1.	37 एसएमआई योजना का क्लस्टर	64.84	1.30 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का लक्ष्य।	पीएमकेएसवाई के तहत पूरा किया माना जाए।
2.	21 एसएमआई योजना का क्लस्टर	24.81	0.40 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का लक्ष्य।	

***